उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

विज्ञापन सं.1101 /उ.प्र. रेरा/एल.सी.आर.ए./2026 दिनांक:31 जनवरी, 2026

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक की सेवाएं प्राप्त करने हेतु विज्ञापन

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक की पोजीशन हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो विधि स्नातक हो।

आवेदक द्वारा लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक हेतु शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से पहले एल.एल.बी. की परीक्षा उर्त्तीण न की गयी हो।

उक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस पद की सेवा शर्ते तथा आवेदन का प्रारूप उ.प्र. रेरा की वेबसाईट **https://up-rera.in** पर दिनांक .... से उपलब्ध रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाईट **https://up-rera.in** के **CAREER** लिंक पर जाकर दिनांक 4-2-26 से दिनांक 25-2-26 की सांय 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

नोट– लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक की पोजीशन पर कार्य पूर्णकालिक (Full Time) है, अतः चयनित लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक को उनकी आबद्धता की अवधि में उच्चतर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई या पब्लिक सर्विस की तैयारी के लिए समय अथवा अवकाश की उपलब्धता नही हो सकेगी।

सचिव

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्याः1107 /यू.पी.रेरा/प्रशा./2026 दिनांकः31 जनवरी, 2026

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मुख्यालय, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर में लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक की सेवाएं प्राप्त करने हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

1. लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक के रूप में नियुक्ति हेतु मात्र वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विधि स्नातक हों। योगदान करते समय एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।
2. आवेदक द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–2024 से पहले एल.एल.बी. की परीक्षा न उत्तीर्ण की गयी हो।
3. लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 31–01–2026 को सामान्य वर्ग हेतु 25 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 26 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु 27 वर्ष की आयु पूर्ण न की गयी हो।
4. अभ्यर्थी को हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में दक्षता होना अनिवार्य है।
5. यह चयन प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक द्वारा अग्रतर सेवा विस्तार के लिए इच्छुक होने और इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक की कार्यकुशलता, दक्षता, सत्यनिष्ठा एवं कार्य उत्कृष्ट होने के आधार पर एक–एक वर्ष के दो विस्तार अनुमन्य होंगे।
6. यदि चयनित अभ्यर्थी अनुबन्ध अवधि के दौरान प्राधिकरण से विरत होना चाहता है तो उसके द्वारा **दो महीने** की पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में वह **एक माह** के मानदेय के समतुल्य धनराशि प्राधिकरण में जमा कर के प्राधिकरण से विरत हो सकेगा। उसके एक माह का मानदेय प्राधिकरण में प्रतिभूति के रूप में जमा रहेगी। यदि वह दो माह की पूर्व नोटिस दिए बिना प्राधिकरण से विरत होता है तो प्रतिभूति के रूप में जमा यह धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाएगी, अन्यथा की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल समाप्त होने या नोटिस से सम्बन्धित शर्त का अनुपालन करने की स्थिति में यह धनराशि उसे वापस कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी को आवंटित कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ही अवमुक्त एवं अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकेगा।
7. लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के समय कार्यकुशलता एवं सत्यनिष्ठा का इनडेमनिटी बॉण्ड रू.100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा।

8. लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक को लॉ ट्रेनी के रूप में प्रथम वर्ष में रू.30,000/– प्रति माह की दर से नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस धनराशि में से रू.5,000/– प्रति माह प्रथम वर्ष तक कार्यकुशलता व सत्यनिष्ठा प्रतिभूति के रूप में संचय किया जायेगा जिसे अलग बैंक खाते में फ्लैक्सी डिपोजीट के रूप में रखा जायेगा।

9. लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक को लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक के रूप में द्वितीय वर्ष में रू.35,000/– प्रति माह की दर से नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस धनराशि में से रू.7,500/– प्रति माह द्वितीय वर्ष तक कार्यकुशलता व सत्यनिष्ठा प्रतिभूति के रूप में संचय किया जायेगा जिसे अलग बैंक खाते में फ्लैक्सी डिपोजीट के रूप में रखा जायेगा।

10. लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक को लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक के रूप में तृतीय वर्ष में रू.40,000/– रूपये प्रति माह की दर से नियत मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस धनराशि में से रू.10,000/– प्रति माह तृतीय वर्ष तक कार्यकुशलता व सत्यनिष्ठा प्रतिभूति के रूप में संचय किया जायेगा जिसे अलग बैंक खाते में फ्लैक्सी डिपोजीट एकाउन्ट में रखा जायेगा।

11. सम्बन्धित लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक का कार्यकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर एवं उस अन्तराल में नोटिस के आधार पर सेवा से विरत होने की स्थिति में फ्लैक्सी डिपोजीट में उस अवधि में संचित कार्यकुशलता व सत्यनिष्ठा प्रतिभूति की कुल धनराशि लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक के बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

12. लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक द्वारा निष्पादित अनुबन्ध के उपरान्त उसके कार्यकाल की अवधि में किसी वित्तीय कदाशयता अथवा कार्य सम्पादन में कतिपय कदाचार की स्थिति पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा लॉ–क्लर्क सह रिसर्च सहायक को दी गयी नोटिस का उत्तर प्राधिकरण द्वारा सन्तोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा कार्यकुशलता व सत्यनिष्ठा प्रतिभूति की पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि जब्त कर ली जाएगी। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

13. उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। परीक्षा उ.प्र. रेरा के मुख्यालय लखनऊ में आयोजित की जाएगी।

14. संबन्धित लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक को 12 माह अथवा उससे अधिक की अनुबन्ध अवधि पूर्ण कर लेने की स्थिति में अग्रतर 02 वर्ष तक उ.प्र. रेरा के मा. पीठों में वादी/प्रतिवादी की ओर से अधिकृत अधिवक्ता के रूप में वकालतनामा प्रस्तुत कर उ.प्र. रेरा में पैरवी करना निषिद्ध होगा। साथ ही चयनित लॉ–क्लर्क–सह

रिसर्च सहायक जिस पीठासीन अधिकारी की पीठ से 3 माह सम्बद्ध रह कर कार्य निष्पादित करेगें, उस पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी भी पक्षकार की ओर से अधिकृत अधिवक्ता के रूप में वकालतनामा प्रस्तुत कर पैरवी करना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

15. अभ्यर्थी के उ.प्र. रेरा में योगदान के उपरान्त किसी भी चैम्बर में लॉ–क्लर्क, लीगल प्रैक्टिसनर के रूप में कार्य करना अथवा कोई भी फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम कोर्स पूर्णतया निषिद्ध होगा।

16. लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक महिला वर्ग के लिए ड्रेस कोड सफेद या काले रंग का फॉर्मल फुल स्लीव कुर्ता और काला या सफेद पयजामा या काले या सफेद रंग की साड़ी काले या सफेद रंग के ब्लाउज के साथ या सफेद रंग का फुल स्लीव कमीज, काले रंग की टाई, सफेद या काले रंग का पैन्ट और काले रंग का फॉर्मल लेडीज जूता होगा। लॉ–क्लर्क–सह रिसर्च सहायक पुरूष वर्ग के लिए ड्रेस कोड सफेद रंग का फुल स्लीव कमीज, काले रंग की टाई, सफेद या काले रंग का पैन्ट और काले रंग का फॉर्मल जूता होगा।

17. यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में उ.प्र. भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण व उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में किसी पक्षकार की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है तो नव–नियुक्त पद पर योगदान के पूर्व वकालतनामा वापस लेना होगा।

18. चयनित अभ्यर्थी को अपने कार्यस्थल वाले शहर में ही निवास करना अनिवार्य होगा तथा रेरा में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था यथा चार्टड अकांउटेन्ट, कम्पनी सचिव, लागत लेखापाल अथवा विधि व्यवसायी के साथ निवास नहीं करेगें।

19. चयनित अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

20. चयनित अभ्यर्थी को कैलेंण्डर वर्ष में 12 दिन का अवकाश अनुमन्य होगा।

21. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 4-2-26 से दिनांक 25-2-26 की सांय 05:00 बजे तक उ.प्र. रेरा की वेबसाइट **https:/up-rera.in** के **Career tab** पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

(महेन्द्र वर्मा)
सचिव